न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
10 / अपील / 2016	15.02.2016	12.03.2020

मीरा पुत्री छोटिया पत्नी श्री हेमराज जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां हाल निवासी ग्राम रेण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–अपीलांट

– बनाम –

1. लालू लाल आ. पन्ना जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. फोरूलाल आ. पन्ना जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. प्रेम बाई पत्नी कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानला हाल निवासी बिस्तारी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रमेश पुत्र कजोड जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां, जिला बून्दी।
5. धन्नी पत्नी कजोड़ जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां, जिला बून्दी।
6. सन्तरा पुत्री कजोड पत्नी रामदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानला हाल निवासी रामगंज तहसील नैनवां, जिला बून्दी।
7. मनभर पुत्री कजोड पत्नी रामकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानला हाल डोडी तहसील नैनवां, जिला बून्दी।
8. काली पुत्री कजोड पत्नी बनवारी निवासी ग्राम कालानला हाल निवासी पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. मोती लाल पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी ग्राम कालानला तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं. 517 दिनांक 07.03.2011
ग्राम कालानला तहसील नैनवां।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से – श्री महावीर कटारिया, अभिभाषक।

रेस्पोडेन्टस की ओर से – श्री उमेश कुमार आर्य, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 517 दिनांक 07.03.2011 ग्राम कालानला तहसील नैनवां से अप्रसन्न होकर अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि जमाबन्दी सं. 146 की कृषि भूमि ख. सं. 463 रकबा 05 बिस्वा, ख. सं. 565 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, ख. सं. 565/659 रकबा 06 बीघा, ख. सं. 475 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा तथा खाता सं. 145 की कृषि भूमि ख. सं. 466 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम कालानला तहसील नैनवां में विस्थित है। उक्त भूमि के मूल खातेदार कालू के फोत होने के पश्चात् उसके वारिस छोटिया, कजोड, पन्ना व मोती के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तथा छोटिया, कजोड व पन्ना के फोत हो जाने पर विवादित नामान्तरकरण इनके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। मृतक छोटिया के वारिसो में छोटिया की वेध पुत्री मीरा का नामान्तरकरण में अंकित नहीं कर विधिक त्रुटि की गई है। अतः विवादित नामान्तरकरण आदेश निरस्त कर मृतक छोटिया के वेधानिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की आज्ञा फरमावे।

अभिभाषक रेस्पो. ने दोराने बहस व्यक्त किया कि मृतक छोटिया के वेध उत्तराधिकारियों के नाम विवादित कृषि भूमियों का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वकील रेस्पो. की अनापत्ति के हस्ताक्षर न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.03.2020 दोराने बहस अंकित करवाये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा नामा. सं. 517 दिनांक 07.03.2011 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। विवादित नामा. के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामा. पन्नालाल, कजोड लाल व कालू के फोत हो जाने पर उनके वारिसो के नाम का अंकन किया गया है। विवादित नामा. के कॉलम सं. 07 में राजू वल्द छोटिया हिस्सा 1/4 अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त नामा. छोटिया की मृत्यु के बाद तस्दीक नहीं किया गया

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

है। अपीलान्ट विवादित नामा. से किस प्रकार व्यथित है तथा न्यायालय से किस प्रकार की राहत प्राप्त करना चाहते है, सिद्व करने में पूर्णतया विफल रहे है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/20

(राजेश जोशी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)